भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2472
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

गैर-अनुसूचित गांव

2472. श्री गोडम नागेशः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पांचवीं अनुसूची में दिए गए गैर-अनुसूचित गांवों का ब्यौरा क्या है और क्या किन्हीं राज्यों ने केन्द्र सरकार से उन गैर-अनुसूचित गांवों को अनुसूचित गांवों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य की ओर से उक्त अनुरोध किए जाने की दशा में कितने गैर-अनुसूचित गांवों को चिह्नित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्र' को 'ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें' के रूप में परिभाषित किया गया है| किसी राज्य के संबंध में 'अनुसूचित क्षेत्र' का विशेष उल्लेख उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है।किसी ब्लॉक/ तालुका/ तहसील/ जिले के भीतर के किसी गांव (गांवों) को शामिल करने वाले क्षेत्रों को, संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्र घोषित और अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित किए गए अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित गांवों को अनुसूचित गांव कहते हैं। इस प्रकार, पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के भीतर किसी भी गैर-अनुसूचित गाँव की उपलब्धता का सवाल ही नहीं उठता है और जनजातीय कार्य मंत्रालय ऐसे गैर-अनुसूचित गांव, जो राज्यों के पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं, का विवरण नहीं रखता है।

*****